

कार्यालय कलेक्टर, जिला-कोरबा, (छ.ग.) एवं पदेन उपसचिव, छ.ग. शासन
राजस्व एवम् आपदा प्रबंधन विभाग

—:अधिसूचना :—

क्र. / 3356 / भूअर्जन/अ-82/2022,

कोरबा, दिनांक 14/03/2022

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि की खोलारनाला स्टाप डेम क्र.02 के डूबान क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है—


अनुसूची


- (1) भूमि का वर्णन –
(क) जिला – कोरबा
(ख) ग्राम – भेजीनारा
(ग) तहसील – कटघोरा
(घ) क्षेत्रफल – 2.215 हे.

स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल	स. क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल
1	210/9	0.210	5	210/6/ख	0.243	9	210/26ख	0.122
2	210/8क	0.263	6	210/26क	0.121	10	210/27ख	0.405
3	210/8/ख	0.041	7	210/27क	0.405	योग		2.215
4	210/6/क	0.263	8	202/2	0.142			

2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कटघोरा के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार


भू अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कटघोरा, जिला – कोरबा (छ. ग.)


(संजीव कुमार झा)
कलेक्टर
जिला-कोरबा
एवं पदेन उप सचिव
छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग